न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/392

1. श्रीमती सागर बाई पत्नी हीरालाल जाति बैरनवा निवासी बामनगॉव ।
2. केसर बाई पत्नी कजोड जाति बैरवा निवासी बामनगॉव ।
3. हीरालाल आत्मज भैरू जाति बैरवा निवासी बामनगॉव ।
4. मांगीलाल आत्मज चतरा जाति बैरवा निवासी बामनगॉव ।
5. छोगा लाल आत्मज बजरंगा जाति बैरवा निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी।

----अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रा बाई पत्नी महावीर प्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोहिनी बाई पुत्री रामजस जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव ।
3. जशोदा पत्नी रामजस जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव ।
4. जगदीश आत्मज रामकरण जाति बैरवा निवासी ग्राम धुआकला तहसील देवली जिला टोंक
5. गीता बाई पत्नी प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम संडीला तहसील नैनवा ।
6. हरबाई पत्नी नाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा ।
7. रघुनाथ आत्मज ग्यारस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी।
8. मदन आत्मज रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. छोटी पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम रजवास तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. मनभर पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम रजवास तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
11. कन्या बाई उर्फ शान्ति पुत्री पन्ना पतनी माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक ।
12. तीजू बाई पत्नी प्रताप जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगॉव ।
13. भंवरी बाई पत्नी प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगॉव ।
14. नाथी बाई पत्नी रामफूल जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगॉव ।
15. रामबाई पत्नी प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगॉव ।
16. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी ।
17. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बामनगॉव की आराजी खसरा नम्बर 1619 व 1626 की मेर पर होता हुआ आराजी खसरा नम्बर 1623 में पहुंचने हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 के द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डी0एल0सी0 दर का दोगुना राशि जमा कराने की शर्त पर 10 फीट चौडा रास्ता दिये जाने निर्णय एंव डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हो या पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो और पक्षकारान राजीनामा अर्थात् लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादी रेस्पोडेन्ट को अपने खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए रास्ता नहीं था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा कराने की शर्त पर 10 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति में ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक

रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक
केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है कि जिसमें पक्षकारान सहमत हों या
कारान के मध्य राजीनामा हो गया हो और वह प्रकरण का निस्तारण सहमति के आधार
राजस्व लोक अदालत की भावना से करवाना चाहते हों । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत
हैं और उनकी सहमति के बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । हम
प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हस्ताक्षर